फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 158/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/206) **श्री अमरसिंह सोनावत बनाम तहसीलदार भुपालसागर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री रामलाल मेघवाल - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** **1. श्री अमरसिंह पिता श्री दलपतसिंह सोनावत, वरिष्ठ नागरिक, निवासी भुपालसागर, तहसील भुपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील भुपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 06.06.2024, प्रकरण संख्या 87/2021, बउनवानी श्री अमरसिंह सोनावत बनाम तहसीलदार, भुपालसागर** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 08.10.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 06.06.2024, प्रकरण संख्या 87/2021, बउनवानी श्री अमरसिंह सोनावत बनाम तहसीलदार, भुपालसागर, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भुपालसागर समक्ष पटवारी हल्का भुपालसागर द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि श्री अमरसिंह सोनावत द्वारा राजस्व ग्राम भुपालसागर के आराजी संख्या 1940 के कुल रकबा 5.15 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ा बनाकर एवं आराजी संख्या 2041 की कुल रकबा 9.50 हैक्टेयर में से 4.00 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर उक्त दोनों आराजी 4.20 हैक्टेयर किस्म चारागाह पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, भुपालसागर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 17.08.2021 से अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने, शास्ति 550 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने एवं अतिक्रमी को 3 तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किये जाने का आदेश प्रसारित किया। • तहसीलदार, भुपालसागर के निर्णय दिनांक 17.08.2021 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 06.06.2024 पारित किया।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 158/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/206) **श्री अमरसिंह सोनावत बनाम तहसीलदार भुपालसागर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 06.06.2024 व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 04.10.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों में प्रस्तुत कथनों को दोहराते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया है** कि उक्त कृषि भूमि चारागाह के उपयोग हेतु नहीं आती है एवं प्रश्नगत भूमि भुपालसागर तालाब से नहरों के निर्माण उपरान्त नहरों से कृषि भूमि भुपालसागर तालाब से सिंचाई हेतु बनी नहरों के सिंचित क्षेत्र में आते हुए सिंचित हो रही है और वर्षों से सिंचित कृषि भूमि है। वर्षों से उक्त कृषि भूमि सिंचित रही है, ना कि चारागाह भूमि है। ग्राम भुपालसागर में जानवरों की संख्या के मुकाबले चारागाह की औसत दर से कई ज्यादा है। प्रश्नगत भूमि को उसी प्रकार से वर्गीकृत रखना न तो उचित है, ना वास्तविकता एवं मौके अनुसार है। अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक को 78 वर्ष की आयु का है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 3 माह के सिविल कारावास व शास्ति अधिरोपित किये जाने का जो आदेश पारित किया है, वह ग्रामीण काश्तकार व कृषि भूमि पर आजीविका व जीवनयापन करने वाले व्यक्ति तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से कृषि कार्य कर रहा है। अपीलार्थी ने कोई तात्कालिक कब्जा नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है। उक्त परिस्थितियों पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये गये। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के वरिष्ठ नागरिक व 78 वर्ष का होकर अकसर बीमार रहने का हवाला देते हुए वैकल्पिक रूप से अपीलाधीन आदेश के तहत अधिरोपित 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ कराये जाने का निवेदन किया गया। **प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अपीलार्थी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिस पर केवल अतिक्रमी के बेदखली के प्रावधान है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी उक्त चारागाह भूमि पर कब्जा किया था, जिसे दिनांक 27.09.2005 को भौतिक रूप से बेदखल किया गया परन्तु अतिक्रमी ने पुनः अतिक्रमण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा बार-बार चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है जो एक गंभीर अपराध है। ऐसे में तहसीलदार द्वारा 3 माह की सजा आदेश एवं अति.जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का अपील खारिज किये जाने का आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है। **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 158/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/206) **श्री अमरसिंह सोनावत बनाम तहसीलदार भुपालसागर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भुपालसागर समक्ष पटवारी हल्का भुपालसागर द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि श्री अमरसिंह सोनावत द्वारा राजस्व ग्राम भुपालसागर के आराजी संख्या 1940 के कुल रकबा 5.15 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ा बनाकर एवं आराजी संख्या 2041 की कुल रकबा 9.50 हैक्टेयर में से 4.00 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर उक्त दोनों आराजी 4.20 हैक्टेयर किस्म चारागाह पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, भुपालसागर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 17.08.2021 से अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने, शास्ति 550 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने एवं अतिक्रमी को 3 तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किये जाने का आदेश प्रसारित किया। तहसीलदार, भुपालसागर के निर्णय दिनांक 17.08.2021 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 06.06.2024 पारित किया। उक्त निर्णयों से व्यथीत होकर हस्तगत अपील पेश की गई। पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजी चारागाह की भूमि है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लधंन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया हो तो भी ऐसे प्रस्ताव को किसी साक्ष्य के रूप में ग्राहृय नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति देय नहीं हो। द्वितीय भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 158/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/206)
श्री अमरसिंह सोनावत बनाम तहसीलदार भुपालसागर</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री जगपाल सिंह वगैरह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के प्रकरण (1132/2011 आर.एल.डब्ल्यू. (सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 389) में सामुदायिक भूमियों पर अनाधिकृत अतिक्रमण व नियमन के संबंध में निम्न अभिमत प्रकट किया है :-

We find no merit in this appeal. The appellants herein were trespassers who illegally encroached on to the Gram Panchayat land by using muscle power/ money power and in collusion with the official and even with the Gram Panchayat. We are of the opinion that such kind of blatant illegalities must not be condoned. Even if the appellants have built houses on the land in question they must be ordered to removed their constructions, and possession of the land in question must be handed back to the Gram Panchahat. Regularizing such illegalities must not be permitted because it is Gram Sabha land which must be kept for the common use of villagers of the village. The letter dated 26-9-2007of the Government of Punjab permitting regularization of the possession of these unauthorised occupants is not valid. We are of the opinion that that such letters are wholly illegal and without jurisdiction. In our opinion such illegalities cannot be regularized. We cannot allow the common interest of the villagers of suffer merely because the unauthorized occupation has subsisted for many years."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से यह अभिनिर्णीत किया है कि सामुदायिक भूमियों के नियमन के संबंध में यदि किसी राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी भी की गई हैं तो ऐसी अधिसूचनाऐं व्यर्थ एवं शून्य हैं। उन्होंने व्यापक जनहित में सामुदायिक भूमियों पर से अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त एवं बिना देरी के कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजी चारागाह की भूमि है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लधंन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की होकर सार्वजनिक भूमि है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है।

यहा यह उल्लेख किया जाना अत्यावश्यक है कि उक्त चारागाह भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने से पूर्व में भी प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को बेदखल करने के व सजा सुनाये जाने का निर्णय पारित किया गया, जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा सजा माफ करते हुए शेष निर्णय को यथावत रखा। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पश्चावर्ती अतिक्रमण किया गया है जिस हेतु तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से बेदखली, कब्जा हटाने, शास्ति आरोपित करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। परन्तु अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के वरिष्ठ नागरिक व 78 वर्ष का होकर अकसर बीमार रहने का हवाला देते हुए वैकल्पिक रूप से अपीलाधीन आदेश के तहत अधिरोपित 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ कराये जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वर्णित तथ्यों के मद्धेनजर अपीलार्थी के प्रति</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 158/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/206) **श्री अमरसिंह सोनावत बनाम तहसीलदार भुपालसागर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नरम रूख अपनाते हुए सिविल कारावास की सजा को सशर्त निरस्त करना हम उचित समझते हैं। **अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष यह शपथ पत्र/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करे कि उसके द्वारा अतिक्रमित/विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा तो यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलार्थी को दी गई 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बेदखली एवं शास्ति का आदेश यथावत रहेगा। अपीलार्थी द्वारा अण्डरटेकिंग/शपथ पत्र देने के उपरान्त तहसीलदार भुपालसागर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अपीलार्थी ने विवादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है एवं आरोपित शास्ती जमा करा दी है अथवा नहीं। यदि अपीलार्थी निर्धारित समयावधि में उपरोक्त आशय की अण्डरटेकिंग/शपथ पत्र देने में असफल रहता है तो सिविल कारावास की सजा संबंधी आदेश स्वतः प्रभावी हो जावेगा।** पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	